



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252716
CG-DL-E-07032024-252716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1055]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 1055]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

एथिलीन डाईक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 1108(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा एथिलीन डाईक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन डाईक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एथिलीन डाईक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) यह 12 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 46016/6/2020-(पीटी.2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्याक 3928 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्याक 1070 (अ), तारीख 10 मार्च, 2022 और का.आ. 4137 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2022 और का.आ. 1124 (अ), तारीख 9 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

Ethylene Dichloride (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 1108(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Ethylene Dichloride (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 12th day of September, 2024”.

[F. No. 46016/6/2020- (Pt.2)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3928(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended vide number S.O. 1070(E), dated the 10th March, 2022, S.O. 4137(E), dated the 2nd September, 2022 and S.O. 1124(E), dated the 9th March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

पॉलीकॉर्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 1109(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा पॉलीकॉर्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीकॉर्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलीकॉर्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) यह 12 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. 46016/6/2020-(पीटी.2)]
दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्याक 3930 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्याक 1071 (अ), तारीख 10 मार्च, 2022 और का.आ. 4138 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2022 और का.आ. 1122 (अ), तारीख 9 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

Polycarbonate (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 1109(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Polycarbonate (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 12th day of September, 2024”.

[F. No. 46016/6/2020- (Pt.2)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3930(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended vide number S.O. 1071(E), dated the 10th March, 2022, S.O. 4138(E), dated the 2nd September, 2022 and S.O. 1122(E), dated the 9th March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 1110(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह 12 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. 46016/6/2020-(पीटी.2)]
दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्याक 3932 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. संख्याक 862 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2022 और का.आ. 1072 (अ), तारीख 10 मार्च, 2022 और का.आ. 4139 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2022 और का.आ 1123 (अ), तारीख 9 मार्च 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 1110(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 12th day of September, 2024”.

[F. No. 46016/6/2020- (Pt.2)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3932(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended vide number S.O. 862(E), dated the 25th February, 2022, S.O. 1072(E), dated the 10th March, 2022, S.O. 4139(E), dated the 02nd September, 2022 and S.O. 1123(E), dated the 9th March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

पी-जाइलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 1111(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा पी-जाइलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पी-जाइलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पी-जाइलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) यह 19 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. 46016/6/2020-(पीटी.2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्याक 3929 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्याक 1276 (अ), तारीख 23 मार्च, 2022 और का.आ. 4140 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2022 और का.आ. 1239 (अ), तारीख 15 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

p-Xylene (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 1111(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the p-Xylene (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the p-Xylene (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the p-Xylene (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 19th day of September, 2024”.

[F. No. 46016/6/2020- (Pt.2)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3929(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended vide number S.O. 1276(E), dated the 23rd March, 2022, S.O. 4140(E), dated the 2nd September, 2022 and S.O. 1239(E), dated the 15th March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

पॉलीयुरेथेन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 1112(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा पॉलीयुरेथेन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीयुरेथेन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलीयुरेथेन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) यह 19 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 46016/6/2020-(पीटी.2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्याक 3931 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्याक 89 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2022 और का.आ. 1277 (अ), तारीख 23 मार्च, 2022 और का.आ. 4141 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2022 और का.आ. 1238 (अ), तारीख 15 मार्च 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

Polyurethanes (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 1112(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Polyurethanes (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Polyurethanes (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polyurethanes (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 19th day of September, 2024”.

[F. No. 46016/6/2020- (Pt.2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3931(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended vide number S.O. 89(E), dated the 7th January, 2022, S.O. 1277(E), dated the 23rd March, 2022, S.O. 4141(E), dated the 2nd September, 2022 and S.O. 1238(E), dated the 15th March, 2023.